बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपकम)
कौटिल्य नगर, पटना–14.

रंजन कुमार सिन्हा
भा0प्र0से0(से0नि0)
स चि व

कार्यालय फोन : 2223727
मोबाईल नं0 : 9471006810

संचिका सं0– XXIII/EST-MISC-16/2017 पटना, दिनांक–..............................2023

कार्यालय आदेश सं0–..205.. / 2023

इस कार्यालय के आदेश सं0–193 / 2023 दिनांक–26.05.2023 के द्वारा निगम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा–4(1) एवं 4(3) के आलोक में आंतरिक परिवाद समिति का पुर्नगठन निम्नवत किया गया है:–

कम सं0	नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	मोबाईल नं0 तथा ईमेल आई0डी0
1.	श्रीमती शिखा	अध्यक्ष	9471009810 csecypolicenigam@bihar.gov.in
2.	श्रीमती रंजु कुमारी, प्रारूपक	सदस्य	6299606158 rk2174178@gmail.com
3.	श्रीमती अर्चना कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक	सदस्य	6202648897 biharpolice_nigam@yahoo.co.in

2. वर्तमान में निगम में कुल–13 महिला कर्मी कार्यरत हैं। इसमें 11 महिला कर्मी निगम, मुख्यालय में पदस्थापित हैं। शेष 02 में एक श्रीमती गीता देवी, राजगीर प्रमण्डल में सफाई कर्मी के रूप में तथा दूसरी सुश्री हिमांशी कुमारी, बेल्टॉन से सेवा प्राप्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद पर मगध प्रमण्डल में कार्यरत हैं।

3. अतः उपर्युक्त कंडिका–1 की समिति बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के राजगीर प्रमण्डल एवं मगध प्रमण्डल के लिये भी आंतरिक परिवाद समिति के रूप में कार्य करेगी। इन दोनों प्रमण्डल का उपर्युक्त अधिनियम के तहत परिवाद, समिति के अध्यक्ष श्रीमती शिखा को उनके ई–मेल आई0डी0–csecypolicenigam@bihar.gov.in पर भी भेजा जा सकता है।

पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक के आदेश से,

ह0 / –
सचिव।

ज्ञापांक.....1870 / पटना दिनांक – ......1/6/....2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती शिखा, कंपनी सचिव / श्रीमती रंजु कुमारी, प्रारूपक एवं श्रीमती अर्चना कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता, राजगीर एवं मगध प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति, प्रमण्डल कार्यालय के सूचना पट्ट तथा अन्य महत्त्वपूर्ण स्थल पर भी अवश्य लगायेंगे। उन्हें यह भी निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे तथा इसके प्रावधानों से प्रमण्डल में पदस्थापित महिला कर्मी को अवगत करायेंगे।

3. श्री जितेन्द्र गिरि को उपर्युक्त आदेश निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव।